

499

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

पत्रांक 3(191)नवि/3/93

जयपुर दिनांक 12.5.2010

परिपत्र

विषय: कृषि भूमि का नमक उत्पादन क्षेत्र एवं प्लान्ट प्रयोजनार्थ राजस्थान
भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-बी के अन्तर्गत पट्टा बाबत।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 19.5.2010 को क्रम में यह
निर्देश जारी किए जाते हैं कि उक्त परिपत्र दिनांक 19.05.2010 द्वारा क्षेत्रफल व
वाह्य विकास शुल्क का निर्धारण किया गया है।

नमक खारडा (नमक उत्पादन क्षेत्र) एवं नमक प्लान्ट हेतु आवंटन दर
परिपत्र क्रमांक प.3(28)नवि/3/93 दिनांक 03.10.2005 एवं लीज राशि परिपत्र
क्रमांक प.3(65)नवि/3/06 दिनांक 02.11.2007 के अनुसार ही वसूली योग्य
है।

Sd/-

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, भा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, भा. मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता
है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को निर्देश जारी करावें।
7. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण / सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण।
8. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
9. रक्षित पत्रावली।

(निष्काम दिवाकर)

शासन उप सचिव - द्वितीय

MS/D-1/6/24/2010